## Order Sheet [Contd]

Date of Order or proceeding with Signature of presiding Parties or Pleaders where necessary  20-01-2017  3ावेदक/आरोपी ओमप्रकाश की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।  राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जाएको. के संबंध में उपयथ पक्षों को सुना गया। आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री के पी. राठौर द्वारा नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जाएको० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी उसके विरुद्ध न्यायालय में संवालित प्रकरण में पूर्व से जमानत पर था और नियमित पेशीओं पर न्यायालय में उपस्थित हो रहा था, किन्तु प्रार्थी के पुत्र रिंकू का लीवर खराब हो जाने से वह उसका इलाज कराने हेतु बाहर चला गया था जिस कारण वह न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो सका था और न ही इस बात की जानकारी अपने अभिभाषक को दे सका था। जिस कारण उसके जमानत मुचलके न्यायालय द्वारा जप्त किए गए है और उसे वारंट से तलब किया गया है। आवेदक न्यायिक निरोध में है। आवेदक के पुत्र का वर्तमान में इलाज चल रहा है वह लीवर की बीमाधी से ग्रसित है, उसकी देखरेख करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है। आवेदक न्यायालय की समस्त शर्तो का पालन करने को तैयार है वह भविष्य में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः आवेदक/आरोपी को उचित जमानत मुचलके पर छोड़ जाने का निवेदन किया है।  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्तर दिनांक को आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से उसके विरुद्ध निरक्तरी वारंट का आदेश हुआ है। प्रकरण जो कि सन् 2011 से न्यायालय में लिखत है । आरोपी को मूर्व में माननीय उच्च		Case 110 23/ 2017 41.5	
अधिवक्ता।  राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।  आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. के संबंध में उमय पक्षों को सुना गया।  आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री के.पी. राठौर द्वारा नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फो. का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी उसके विरुद्ध न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व से जमानत पर था और नियमित पेशीओं पर न्यायालय में उपस्थित हो रहा था, किन्तु प्रार्थी के पुत्र रिंकू का लीवर खराब हो जाने से वह उसका इलाज कराने हेतु बाहर चला गया था जिस कारण वह न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो सका था और न ही इस बात की जानकारी अपने अभिभाषक को दे सका था। जिस कारण उसके जमानत मुचलके न्यायालय द्वारा जप्त किए गए है और उसे वारंट से तलब किया गया है। आवेदक न्यायिक निरोध में हैं। आवेदक के पुत्र का वर्तमान में इलाज चल रहा है वह लीवर की बीमारी से ग्रसित है, उसकी देखरेख करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं हैं। आवेदक न्यायालय की समस्त शर्तो का पालन करने को तैयार है वह मविष्य में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः आवेदक/आरोपी को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण जो कि दिनांक 18.11.16 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत था। उक्त दिनांक को आरोपी के अनुपरिथत हो जाने से उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। प्रकरण जो कि सन् 2011	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
	20-01-2017	अधिवक्ता।  राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. के संबंध में उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक/आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री के पी. राठौर द्वारा नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी उसके विरुद्ध न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व से जमानत पर था और नियमित पेशीओं पर न्यायालय में उपस्थित हो रहा था, किन्तु प्रार्थी के पुत्र रिंकू का लीवर खराब हो जाने से वह उसका इलाज कराने हेतु बाहर चला गया था जिस कारण वह न्यायालय में नियत तिथि को उपस्थित नहीं हो सका था और न ही इस बात की जानकारी अपने अभिभाषक को दे सका था। जिस कारण उसके जमानत मुचलके न्यायालय द्वारा जप्त किए गए है और उसे वारंट से तलब किया गया है। आवेदक न्यायिक निरोध में है। आवेदक के पुत्र का वर्तमान में इलाज चल रहा है वह लीवर की बीमारी से ग्रसित है, उसकी देखरेख करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है। आवेदक न्यायालय की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है वह भविष्य में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः आवेदक/आरोपी को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।  राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।  उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण जो कि दिनांक 18.11.16 को अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत था। उक्त दिनांक को आरोपी के अनुपस्थित हो जाने से उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। प्रकरण जो कि सन् 2011	

न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा जमानत पर छोडे जाने का आदेश दिया गया था किन्तु उसके द्वारा जमानत शर्तों का पालन नहीं किया गया है। आरोपी की अनुपस्थित का जो कारण बताया है उसमें उसके पुत्र के बीमारी से ग्रस्त होने और उसका ईलाज चलने के कारण नियत तिथि दिनांक को उपस्थित न होन बताया है किन्तु इस संबंध में आवेदक के द्वारा जो पुत्र के ईलाज से संबंधित पर्चे पेश किये गये हैं वह 18–11–16 के पूर्ववर्ती तिथियों के पर्चे हैं और उनसे कहीं ऐसा भी दर्शित नहीं होता है कि वह कहीं अस्पताल में भर्ती रहा हो । ऐसी दशा में आरोपी की अनुपस्थिति का जो कारण बताया जा रहा है वह उचित होनानहीं कहा जा सकता है ।

विचारोपरान्त आरोपी जिसके विरुद्ध धारा 302 भा०द०सं० एवं धारा 25,27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत विचारण चल रहा है आरोपी समुचित कारण के बिना साक्ष्य दिनांक को अनुपस्थित रहने से और माननीय उच्च न्यायालय के जमानत शर्तों का पालन न करने के परिप्रेक्ष्य में उसे इस न्यायालय के द्वारा जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है | अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 जा०फो स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है |

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के लिये पूर्ववत् दिनांक 27,28—1—17 को पेश हो ।

ए०एस०जे०गोहद

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (डी०सी०थपलियाल) ए.एस.जे. गोहद	 ,	